न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –672 / 2024

अनवान : –

1. सुरेन्द्र पाल पुत्र गुड्डी पत्नी श्योचंद जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 25/02/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 350 / 347 की कुल 16.4280 हैक्ट भूमि में से 1 / 6 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि में वादी का नाम छिन्द्र पुत्र गुडडी देह खातेदार दर्ज है जो की सहवन से दर्ज हुआ है वादी का सही व वास्तविक नाम सुरेन्द्र पाल पुत्र श्योचंद व पता गोरखाना तहसील नोहर जो की वादी के समस्त दस्तावेजो यथा आधार कार्ड में दर्ज है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम छिन्द्र पुत्र गुडडी के स्थान पर सुरेन्द्र पाल पुत्र श्योचंद सा0 गोरखाना दर्ज करवाना चाहता है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी का नाम मुताबिक दस्तावेज राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जवाब पेश किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, चित्रप्रति आधार कार्ड पेश कि जो की शामिल मिसल किये गये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि में वादी का नाम छिन्द्र पुत्र गुडडी देह खातेदार दर्ज है जो की सहवन से दर्ज हुआ है वादी का सही व वास्तविक नाम सुरेन्द्र पाल पुत्र श्योचंद व पता गोरखाना तहसील नोहर जो की वादी के समस्त दस्तावेजो यथा आधार कार्ड में दर्ज है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम छिन्द्र पुत्र गुडडी के स्थान पर सुरेन्द्र पाल पुत्र श्योचंद सा0 गोरखाना दर्ज करवाना चाहता है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:54:02 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीया ने दादालाई/पैतृक सम्पति/नाम संशोधन का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 350/347 की कुल 16.4280 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम छिन्द्र पुत्र गुडडी सा0 देह खातेदार दर्ज है एवं वादी द्वारा अपने उक्त नाम के स्थान पर सुरेन्द्र पाल पुत्र श्योचंद सा0 गोरखाना दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में वादी का नाम सुरेन्द्र पाल पुत्र श्योचंद सा0 गोरखाना दर्ज है। अत वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वादी वादी डिक्री किया जाकर रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 350/347 की कुल 16.4280 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि में वादी का नाम छिन्द्र पुत्र गुडडी सा0 देह खातेदार के स्थान पर छिन्द्र उर्फ सुरेन्द्र पाल पुत्र गुडडी पत्नी श्योचंद सा0 गोरखान के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। यदि नाम संशोधन बाबत कोई तथ्य छुपाया गया है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25/02/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:54:02 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –672 / 2024

अनवान : –

1. सुरेन्द्र पाल पुत्र गुड्डी पत्नी श्योचंद जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 672 सन 2024 निर्णय दिनांक 25/02/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 350 / 347 की कुल 16.4280 हैक्ट भूमि में से 1 / 6 हिस्सा भूमि में वादी का नाम छिन्द्र पुत्र गुडडी सा0 देह खातेदार के स्थान पर छिन्द्र उर्फ सुरेन्द्र पाल पुत्र गुडडी पत्नी श्योचंद सा0 गोरखान के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। यदि नाम संशोधन बाबत कोई तथ्य छुपाया गया है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/02/26.... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:54:02 IST
Reason: SelfAttested